

3364

18/2/16

कार्यालय-ज्ञाप

3364

18/02/16

15/2/2016

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध राजकीय/महिला/ग्रामीण एवं राज्य सरकार के नियंत्रण में संचालित अनुदानित पालिटेक्निक संस्थानों के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-752-ए/XXIV(8)/10-61/09 दिनांक 08.06.2010 के द्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया था। अब सम्यक विचारोपरांत उक्त कार्यालय आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2016-17 से निम्न तालिका के कालम-4 में उल्लिखित शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

(धनराशि रूपये में)

क.सं.	राजकीय/सहायता पालिटेक्निकों हेतु शुल्क की मर्दे	प्राप्त शुल्क	पूर्व निर्धारित वार्षिक शुल्क	शैक्षिक सत्र 2016-17 से निर्धारित शुल्क की वार्षिक दरें।
1	2	3	4	4
1	शिक्षण शुल्क		6000	8000
2	<b>छात्रनिधि शुल्क</b>			
	1. प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन		50 ✓	50 ✓
	2. परिचयन पत्र शुल्क		50 ✓	50 ✓
	3. कीडा शुल्क	125	250 ✓	250 ✓
	4. वार्षिकोत्सव शुल्क	50	100 ✓	100 ✓
	5. शैक्षिक परीक्षा शुल्क	100	200 ✓	100 ✓
	6. मैगजीन शुल्क	50	100 ✓	100 ✓
	7. हॉबी सेंटर शुल्क	25	50 ✓	50 ✓
	8. विद्युत शुल्क	350	700 ✓	500 1000 ✓
	9. कांसन मनी संस्थागत	X	200 X	X 100 X
	10. शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	150	300 ✓	300 ✓
	11. अनुरक्षण शुल्क	500	1000 ✓	750 1500 ✓
	12. कम्प्यूटर/इंटरनेट शुल्क	125	250 ✓	250 500 ✓
	13. विकास/भवन विकास शुल्क	150	300 ✓	250 500 ✓
	14. पुस्तकालय शुल्क	50	100 X	X 100 ✓
	15. छात्र वैलफेयर शुल्क	50	100 X	50 100 ✓
	16. एन.सी.सी. शुल्क		100	X 100 X
	17. पुस्तकालय काशन मनी		100 X	X 100 ✓
	योग:-		3950	5000 4900
3	<b>छात्रावास शुल्क</b>			
	1. छात्रावास शुल्क		600	600
	2. छात्रावास काशन मनी		200	200
	3. छात्रावास अनुरक्षण शुल्क		1000	2000
	4. छात्रावास विद्युत शुल्क		700	1100
	5. बर्तन चन्दा		50	100
	योग:-		2550	4000

	बोर्ड परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	500	राजकीय-500 निजी क्षेत्र-500
	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	200	200
4	बैक पेपर परीक्षा शुल्क (समान रूप से)	200/-प्रति विषय	200
	स्कूटनी शुल्क	250/-प्रति विषय	250
	अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)	20	20
	(परिषद द्वारा निर्गत करने पर)	30	30
	पुर्नमूल्यांकन	2000/-प्रति विषय	2000

- 2- उपर्युक्त शुल्क में से शिक्षण शुल्क, छात्र निधि शुल्क एवं छात्रावास शुल्क छात्रों से सेनेस्टरवार रूप में प्राप्त किया जायेगा।
- 3- उपर्युक्त बढा हुआ शुल्क शैक्षिक सत्र 2016-17 से प्रवेशित नये छात्रों से ही लिया जायेगा। पुराने छात्रों से पूर्व का शुल्क ही लिया जायेगा।
- 4- शुल्क के संबंध में पूर्व में निर्गत किये गये शासनादेश/कार्यालय आदेश आदि उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जायेंगे।

(ओम प्रकाश)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 246(1)/XLI-1/2016-61/09 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।
6. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा, रुड़की।
7. समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालिटेक्निक के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक)
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(दिनेश कुमार पुनेठा)  
अनु सचिव।